

कार्य का नाम – जनपद जालौन (उरई) में बिलराया-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के चैनेज 318.000 से 352.000 तक (लम्बाई 34.00 किमी0) 4-लेन का निर्माण कार्य ।

Justification of Site Location

बिलराया पनवाड़ी, (राज्य मार्ग सं0-21) प्रदेश का महत्वपूर्ण मार्ग है, जो कृषि प्रधान जनपद लखीमपुर खीरी के बिलराया स्थान से आरम्भ होकर जनपद सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, हमीरपुर होते हुये महोबा को जोड़ता है। वर्तमान में यह राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) दो लेन में निर्मित है। जनपद जालौन में बिलराया-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के चैनेज 318.00 से 352.00 तक (लम्बाई 34.00 किमी0) मार्ग पर दिन प्रतिदिन यातायात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनपद जालौन की बेतवा नदी की बालू खदानों से बालू से भरे भारी वाहनों का यातायात बहुतायत संख्या में गुजरता है। जिससे राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है। मार्ग पर वाहनों की गीली बालू भरकर लगातार पानी टपकते हुये चलने के कारण मार्ग प्रायः क्षतिग्रस्त होता रहता है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मार्ग पर सी0सी0 पेवमेन्ट का प्राविधान किया गया है। इस मार्ग पर चार-लेन हो जाने से इस क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। इस मार्ग के बन जाने से आगरा, इटावा, कानपुर मार्ग पर चलने वाले यातायात जो भोगनीपुर होते हुये महोबा, छतरपुर(म0प्र0), बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, को गुजरता है। उसका यातायात इस मार्ग से सीधे गुजरेगा। तकनीकी रूप से वर्तमान में इस मार्ग पर 3585 सी0वी0पी0डी0 (Commercial Vehicle Per Day) तथा 22064 पी0सी0यू0 (Passenger Car Unit Per Day) का यातायात है, इसके दृष्टिगत इस मार्ग को दो-लेन से चार-लेन में चौड़ीकरण व सुदृढीकरण किया जाना अपरिहार्य है। इस मार्ग को दो-लेन से चार-लेन में किया जाना मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार की प्राथमिकता से आच्छादित है। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिये 42.60301 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि की आवश्यकता है, जोकि न्यूनतम है जालौन में बिलराया-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-21) के चैनेज 318.00 से 352.00 तक (लम्बाई 34.00 किमी0) एक रेखीय संरक्षण एकल प्रस्ताव/परियोजना है बिलराया पनवाड़ी मार्ग के किसी अन्य प्रस्ताव/परियोजना से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इस राज्य मार्ग को चार-लेन में करने हेतु वर्तमान संरक्षण के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

की.अ.क. (अधीक्षक)
उप वन संरक्षक
जालौन सी0वी0पी0डी0 वन विभाग
3585 (जालौन)

(इं0 वी0के0राय)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, उरई

(V.K. Rai)